संख्या- 05 /2020 /427/अड़तीस-7-2020 -1610एलसी/2018

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर पदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2020**

विषय- मनरेगा केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सोशल ऑडिट निदेशालय हेतु फण्ड अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या- एम-11014/21/2019-मनरेगा(आरई-।।।)(367137) एसएल0नं0-27 , दिनांक: 23-03-2020 द्वारा सोशल ऑडिट यूनिट के संचालन हेतु निर्गत की गयी द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 782.16 लाख (रूपये सात करोड बयासी लाख सोलह हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. **उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा। साथ ही वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 30-03-2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी। कोषागार से धनराशि के आहरण करने पर मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।**
3. **उक्त धनराशि आहरित कर सोशल आडिट निदेशालय के लखनऊ स्थित निम्न बैंक एकाउण्ट में हस्तान्तरित की जायेगी:-**

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
1	ALLAHABAD BANK, HAZARATGANJ, LUCKNOW	DIRECTOR, SOCIAL AUDIT, GRAM VIKAS, UP	50123733822	ALLA0210062

4. **वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 05 /2020 /427(1)/अड़तीस-7-2020 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।**
2. **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
3. **महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
4. **निदेशक, सोशल ऑडिट, उ0प्र0, लखनऊ।**
5. **अपर आयुक्त(मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
6. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
7. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।**
8. **वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।**
9. **राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।**
10. **ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
11. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in